न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 30/2013

प्रार्थी

श्री शंकरलाल पुत्र श्री मनराजी जाति मेघवाल निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत, नितौडा।
2. स्व. श्री रामाराम पुत्र श्री भीमाजी के कायम मुकाम—

2.1 श्री थानाराम पुत्र स्व. श्री रामाराम जाति मेघवाल निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.2 श्री पुरूषोत्तम पुत्र श्री रामारामजी जाति मेघवाल निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः—

1. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 18.11.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना—पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 201/85—86 दिनांक 01.07.1985 वर्गफीट 1350 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत नितौडा की ओर से जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा [illegible] था [illegible] या दो को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 201/85—86 दिनांक 01.07.1985 [illegible] है। प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रार्थी ग्राम नितौडा [illegible] निवासी है एवं उसके द्वारा वर्ष 1980 में दिनांक 02.12.1980 को [illegible] कब्जे भोगवट के थाले पर नि[illegible] पट्टा बनाने के लिए आवेदन किया, जिस पर ग्राम [illegible]ायत नितौडा द्वारा नियम[illegible] कार्यवाही कर दिनांक 06.05.1981 को पट्टा संख्या 52 प्रार्थी के हक में जारी कर दिया, जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने झोंपडा बना रखा था। यह है कि प्रार्थी बच्चों की शिक्षा हेतु अहमदाबाद होने से उसका झोंपडा गिर गया, तब उसने वर्ष 2013 में पुनः नियमानुसार ग्राम पंचायत नितौडा से निर्माण स्वीकृति मांगी, तब ग्राम पंचायत नितौडा ने निर्माण स्वीकृति नहीं दी। इसके पश्चात जब प्रार्थी ने उक्त भूमि पर निर्माण कार्य चालू किया तो ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा यह कहते हुए निर्माण कार्य रूकवाया गया कि उक्त भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो को दिया जा चुका है। यह है कि प्रार्थी को जारी पट्टा एवं अप्रार्थी को जारी पट्टे की चतुर्दशी भिन्न है, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत नितौडा से मेल–मिलाप कर प्रार्थी के भू–खण्ड का पट्टा जारी करवा लिया। यह है कि इस संबंध में प्रार्थी ने सतर्कता में प्रकरण दर्ज करवाया जो 12/2013 दर्ज हुआ, जिसमें सक्षम न्यायालय ने दिनांक 17.05.2013 को निर्णित होकर पट्टा निरस्त कराने हेतु निगरानी पेश करने हेतु कहा गया। यह है कि प्रार्थी को उक्त भूखण्ड का पट्टा वर्ष 1981 को जारी हुआ, इसके पश्चात उसी स्थान का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1985 में अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विवादित पट्टा संख्या पट्टा संख्या 201/85–86 दिनांक 01.07.1985 वर्गफीट 1350 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया लेकिन बहस हेतु निर्धारित तिथि को अप्रार्थी संख्या एक उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी संख्या एक ने मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को पट्टा संख्या 52 दिनांक 06.05.1981 को 1250 वर्गफीट भूमि का जारी किया, जो पंचायत के रिकॉर्ड से प्रमाणित है, परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई झोंपडा नहीं बना रखा है एवं प्रार्थी ग्राम नितौडा में निवास नहीं कर सरूपगंज में अपने परिवार सहित निवास करता है। यह है कि ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा दिनांक 06.05.1981 को प्रार्थी को पट्टा जारी किया, उसके बाद इसी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को निःशुल्क पट्टा संख्या 201 दिनांक 18.06.1985 को 1350 वर्गफुट का जारी किया गया। यह है कि प्रार्थी ने दिनांक 04.03.2013 को उक्त भूमि पर निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु आवेदन किया एवं इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या दो द्वारा भी उक्त भूमि पर निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु आवेदन किया। चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो का पट्टा एक ही भूमि का होने के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो, किसी को भी निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की गई है। यह है कि इस भूमि के स्वामित्व एवं कब्जे के बारे में आस–पडौस के व्यक्तियों से जानकारी करने पर पाया गया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का कब्जा है तथा झोंपडा बना हुआ है, जिस पर प्रार्थी का आज दिनांक कब्जा नहीं रहा है।

अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा पट्टा संख्या 201/85–86 दिनांक 18.06.1985 को जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। अप्रार्थी संख्या दो का मौके पर कब्जा काश्त है, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो कुलपोश मकान बनाकर निवासरत था परन्तु मकान जर्जर [illegible] होने के कारण इसके पुनः निर्माण हेतु दिनांक 18.02.2013 को ग्राम पंचायत [illegible] निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया था। यह है कि प्रार्थी द्वारा पट्टा संख्या 52 दिनांक [illegible].12.1980 को तत्कालीन पंचायत से मिलीभगत कर बनवाया है, [illegible] तथ्यता असत्य प्रतीत होती है, जिसको निरस्त कराने हेतु [illegible] निगरानी पेश कर रखी है। यह है कि ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा पट्टा संख्या 52 [illegible] 1981 को जारी किया था जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा संख्या 201 दिनांक 18.06.1985 को जारी हुआ है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज करना फरमायें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा पंचायत समिति पिण्डवाडा एवं ग्राम पंचायत, नितौडा द्वारा जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों लघु व सीमान्त कृषको को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन है कि ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा विवादित पट्टा संख्या 201/85–86 दिनांक 18.06.1985 अप्रार्थी संख्या दो को गलत रूप से जारी किया गया है, जबकि उक्त भूखण्ड का पट्टा प्रार्थी को पट्टा संख्या 52 दिनांक 06.05.1981 को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक व अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता ने भी यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी को पट्टा संख्या 52 दिनांक 06.05.1981 को जारी किया गया था। इसके पश्चात प्रार्थी द्वारा वर्ष 2013 में निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत नितौडा से निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया एवं निर्माण कार्य किया तब ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को 11.03.2013 उक्त निर्माण कार्य को रोकने हेतु लिखा गया। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा में शिकायत की, जो प्रकरण संख्या 12/2013 दर्ज हुआ जो दिनांक 17.05.2013 को निर्णित हुआ, उसमें भी यह माना है कि उक्त विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो को दोहरा पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी दूसरे पट्टे को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में निगरानी पेश करे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त दोनों पट्टे एक ही भू–खण्ड के होने से एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो, दोनों के द्वारा निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु आवेदन करने पर विवादास्पद स्थिति होने से ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो में से किसी भी को भी निर्माण स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादास्पद भूखण्ड के संबंध में अप्रार्थी संख्या दो न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिण्डवाडा में स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक आदेश वाद पत्र के तहत आदेश 7 नियम 1 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों को मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया गया था एवं उक्त न्यायालय में अप्रार्थी संख्या दो के पुत्र श्री पुरूषोत्तम द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त विवादित पट्टे की मिसल पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जो यह साबित कर सके कि ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टा संख्या 201/85–86 दिनांक 18.06.1985 की किसी भी प्रकार की [illegible] गई हो एवं न ही इस संबंध में ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा प्रस्तुत किए गए [illegible] में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख किया है। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] साक्ष्यों के [illegible]लोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि विशिष्ठ न्यायालय अनुसूचित जाति एवं [illegible] (अत्याचार निवारण) सिरोही में अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त [illegible] 21.01.2017 को श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह, श्री जयसिंह पुत्र श्री धनसिंह, श्री गोविन्दसिंह पुत्र श्री बहादुरसिंह, श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री धनसिंह एवं बलवन्तसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह ने कब्जा करने हेतु मौके पर अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा बनाई गई नींव को तोड कर मौके पर पडे हुए 3–4 ट्रोली

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्थरों को जे.सी.बी. से ट्रेक्टर में भर कर ले जाने की कोशिश की, उक्त संबंध में एक वाद संख्या 61/2017 प्रस्तुत किया जिसमें यह उक्त न्यायालय ने पुलिस थाना सरूपगंज की अनुसंधान रिपोर्ट के आधार पर उक्त आरोप को सही मानते हुए उक्त व्यक्तियों को दोषी सिद्ध किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा था।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 06.05.1981 को पट्टा संख्या 52 राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया था जिसकी मिसल संख्या 153 दायर दिनांक 02.12.1980 ग्राम पंचायत नितौडा के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। यह है कि उक्त विवादित भूखण्ड का पट्टा प्रार्थी को वर्ष 1981 में जारी होने के बाद ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा संख्या 201/85–86 दिनांक 18.06.1985 जारी किया है, जिसकी मिसल संधारण एवं अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही के संबंध में न तो ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा किसी भी प्रकार का कथन किया गया है और न ही पत्रावली पर किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है। चूंकि उक्त विवादित भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा दिनांक 06.05.1981 को प्रार्थी के पक्ष में जारी कर दिए जाने के उपरान्त उसी भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो को दिनांक 18.06.1985 को जारी किया गया है, जो गलत है। अतः ऐसी स्थिति में जो पट्टा पहले जारी हुआ है उसे कायम रखकर एवं बाद में जारी पट्टे को निरस्त करना न्यायसंगत होगा। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा एवं ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा बाद में अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 201/85–86 दिनांक 18.06.1985 को न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा एवं ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 201/85–86 दिनांक 18.06.1985 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner